


कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

आदेश

श्रीमती सरोज ढाका, व्या. हिन्दी, राउमावि बनेडिया-राजसमन्द द्वारा राजस्थान सेवा नियम भाग-11 अध्याय 3 नियम 8 (क) के निर्णय सं. 05 एवं वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक-एफ.1(3)एफडी(रूल्स)/2017 दिनांक-15.02.18 के अनुसार अपना नाम सरोज ढाका के स्थान पर सरोज देवी करने की समस्त कार्यवाही/शर्तों को पूर्ण किया है।

अतः श्रीमती सरोज ढाका से संबंधित राजकीय सेवा सम्बन्धी समस्त अभिलेखों में इनका नाम सरोज ढाका के स्थान पर सरोज देवी किये जाने की अनुमति/विभागीय स्वीकृति एतद् द्वारा जारी की जाती है। भविष्य में सरोज ढाका से संबंधित आदेश/कार्यों में परिवर्तित नाम " सरोज देवी" से संबोधित किया जावे/जारी किया जावे।


(निथमल डिडेल)

आई.ए.एस

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक- शिविरा/मा/संस्था/सी-7/नाम परिवर्तन/14-15

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 महालेखाकार, राजस्थान सरकार, जयपुर
- 2 सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
- 3 सम्बन्धित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
- 4 संबंधित संस्था प्रधान
- 5 अनुभाग अधिकारी कम्प्युटर, कार्यालय हाजा
- 6 श्रीमती सरोज देवी, व्या0 हिन्दी राउमावि बनेडिया, राजसमन्द
- 7 रक्षित पत्रावली

दिनांक- 30/07/18


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर